संख्या-8/2016/727/26-2-2016

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 21 मार्च, 2016

विषय- **उ0प्र0 राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के संबंध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं अगल-अलग हैं, यथा- स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता एवं गिरते स्वास्थ्य के कारण दैनिक कार्यों के साथ-साथ जीविकोपार्जन की समस्या, परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार हेतु बाहर चले जाने पर उनके स्वयं की देख-भाल करने की समस्या, अधिक आयु एवं शारीरिक असमर्थता के कारण स्वयं की देख-भाल न कर पाने की स्थिति में किसी अन्य के सहायक न होने की समस्या, अधिक उम्र के कारण सक्रियता एवं गतिशीलता कम होने से एकाकीपन की समस्या इत्यादि। वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शान्तिपूर्वक, सुरक्षित एवं सम्मानजनक ढंग से जीवन-यापन का अवसर देने के उद्देश्य से प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों हेतु मा0 मंत्रिपरिषद् के आदेश अशासकीय पत्र संख्या-4/2/3/2016-सी0एक्स0(1), दिनांक 14 मार्च, 2016 के क्रम में ''उ0प्र0 राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति'' निम्नवत् बनायी जाती हैः-

1- उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के उद्देश्य निम्नवत् होगें :-

- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की उचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना
- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य (Physical and Mental Health) के देख-भाल की उचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना
- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा, आवासीय सुविधा, उनके समग्र कल्याण तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यथावश्यक सहयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करना
- दुर्व्यवहार एवं शोषण से उनकी रक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय सृजनात्मक, उत्पादक एवं संतोषप्रद जीवन जीने हेतु उचित अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना
- वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालीन अनुभवों को समाज के उत्थान हेतु उपयोग में लाने की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करना
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे कार्यक्रम क्रियान्वित करना, जिससे उन्हें शहरी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें
- प्रदेश में आयु समन्वित समाज की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करना
- नीति के अनुरूप बनाये जाने वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समुचित बजट प्राविधान सुनिश्चित करना

2- उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य किये जायेगें :

2.1 आवास/वृद्धाश्रम

2.1.1 शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99, दिनांक 17.12.1999 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। उक्त शासनादेश में समाज के वृद्धजनों को 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जो अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरणस्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजेन्टल होगा।

2.1.2 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा नवीन योजनाओं के मास्टर प्लान में **एक ही परिसर में वृद्धाश्रम व अनाथालय के निर्माण व संचालन** हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी।

2.1.3 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा एक ही परिसर में वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के निर्माण एवं संचालन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

2.1.4 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में भी आवश्यकतानुसार वृद्धाश्रम व अनाथालय के संचालन हेतु सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत भवन निर्माण कर प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को संचालनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे वृद्धाश्रमों में कम-से-कम 25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिशत सीटें बी0पी0एल0 श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों हेतु आरक्षित की जायेगी एवं इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध करायी जायेगी।

2.1.5 नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत भी वृद्धाश्रम व अनाथालय के संचालन हेतु भवन निर्माण कर प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को संचालनार्थ उपलब्ध करायेंगे। ऐसे वृद्धाश्रमों में कम-से-कम 25 प्रतिशत सीटें बी0पी0एल0 श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों हेतु आरक्षित की जायेगी एवं इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध करायी जायेगी।

2.1.6 राज्य सरकार द्वारा **उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण नियमावली, 2014** के अंतर्गत स्थापित वृद्धाश्रमों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु नियमानुसार चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा। ऐसे वृद्धाश्रमों में अशक्त एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आवासीय एवं भोजन आदि की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

2.1.7 प्रदेश में संचालित सभी प्रकार के वृद्धाश्रमों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी संबद्धता निकटतम सरकारी अथवा निजी अस्पताल से हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर वृद्धाश्रमों के अंतःवासियों को आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा 24 × 7 उपलब्ध हो सके।

2.1.8 प्रदेश में वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश **वृद्धाश्रम नियामक इकाई** के द्वारा निर्गत की जायेगी।

2.1.9 राज्य सरकार सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु नक्शों की स्वीकृति देने में ऐसे मानकों को सम्मिलित करेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों में गिरने का भय कम से कम हो तथा वे अपने को सुरक्षित महसूस करें।

2.1.10 वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित एवं आरामदायक जीवन-यापन हेतु जो आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में नगर नियोजकों, वास्तुविदों, अभियंताओं व भवन निर्माण प्रशासको को समुचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2.1.11 वरिष्ठ नागरिकों को आवास-क्रय एवं वृहद् मरम्मत हेतु सहजतापूर्वक कम दर पर ऋण प्रदान करने तथा किश्तें अदा करने की व्यवस्था की जायेगी।

2.1.12 युवावस्था से ही रोजगार में लगे व्यक्तियों को आवासीय योजनाओं में निवेश हेतु प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे वृद्धावस्था में आवास अथवा आश्रय की समस्या से दूर रहें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.2 स्वास्थ्य

2.2.1 ''वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

(क) उपकेन्द्र स्तर पर-

i. उपकेन्द्र स्तर पर स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं उनके परिवारजनों के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी देना।

ii. उपकेन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकताओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए घर का भ्रमण एवं शारीरिक रूप से अशक्त वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करना।

iii. उपकेन्द्र स्तर पर गांवों में कैंप एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से जनमानस को वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य उत्थान, रोकथाम एवं उपचार सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना।

(ख) प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्तर पर-

i. शारीरिक रूप से अशक्त वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से कैलीपर्स उपलब्ध कराना।

ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बुद्धवार एवं शनिवार को अपरान्ह् 01:00 बजे से 02:00 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओ0पी0डी0 संचालित करना।

iii. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वरिष्ठ नागरिकों का नियमित रूप से आँख, रक्तचाप, रक्तशर्करा इत्यादि से सम्बन्धित चिकित्सीय परीक्षण करना।

(ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर-

i. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फिजियोथेरिपिस्ट द्वारा फिजियोथैरपी एवं परामर्श प्रदान करना।

ii. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं शनिवार को अपरान्ह् 01:00 बजे से 02:00 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओ0पी0डी0 संचालित करना।

iii. गम्भीर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय एवं उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजना।

(घ) जिला स्तर पर-

i. जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोगी सेवा केन्द्र का संचालन।

ii. जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों हेतु 10 शैय्या वाले वार्ड तथा मानव संसाधन द्वारा अन्तःरोग की सुविधा प्रदान करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

iii. जिला चिकित्सालय पर उपलब्ध मेडिसिन, हड्डीरोग, ई0एन0टी0, सर्जन तथा मनोचिकित्सा के क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना।

iv. जिला चिकित्सालय पर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सीय, परचिकित्सीय सेवा एवं परिवार में देखभाल करने हेतु व्यक्तियों की क्षमता का विकास करने हेतु परिवार के सदस्यों का 02 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उक्त प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शुल्क निर्धारित कर रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा करना।

(ड.) मण्डल स्तर पर-

i. मण्डलीय चिकित्सालयों में यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा संचालित लैबों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधा प्रदान करना।

ii. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करते हुये वरिष्ठ नागरिकों की देख-भाल एवं उपचार हेतु उनके परिवारजनों को आवश्यक जानकारी, सूचना एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।

iii. भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल हेतु प्रशिक्षित नर्स/फिजियोथेरेपिस्ट आदि की सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को पंजीकृत कर स्वास्थ्य विभाग इन संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का भी निर्धारण किये जाने की व्यवस्था करना।

2.2.2 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में **सेन्टर फार एडवान्स रिसर्च इन एजिंग एण्ड जेरियाट्रिक मेन्टल हेल्थ** की स्थापना की जा चुकी है।

2.2.3 नर्स व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम में ''जिरियाट्रिक स्वास्थ्य सुरक्षा व देख-भाल'' विषय को सम्मिलित करने की कार्यवाही उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

2.2.4 वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की महती आवश्यकता है। इस हेतु वृद्धावस्था के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक स्वास्थ्य की देख-भाल हेतु स्टाफ को वांछित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सम्बन्धी व्ययभार समाज कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

2.2.5 चिकित्सा महाविद्यालयों को जिरियाट्रिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता देने के कार्यक्रम चलाने को निर्देशित किया जाएगा।

2.2.6 ''स्वस्थ वृद्धावस्था'' के सिद्धान्त को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ''निरोगी काया'' सबसे बड़ा सुख माना गया है-इसके लिए ''करो योग, रहो निरोग'' का नारा देकर जगह-जगह वृद्धजनों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिए योग-शिविर लगाये जायेगें तथा इन शिविरों में घरेलू उपचार, स्थानीय जड़ी-बूटियों का प्रयोग एवं एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

2.2.7 के0जी0एम0यू0, एस0जी0पी0जी0आई0 आदि संस्थाओं में वृद्धावस्था की असाध्य बीमारियों यथा-''**डिमेन्सिया एवं अलजाइमर**'' के लिए शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.3 आर्थिक सुरक्षा

वरिष्ठ नागरिकों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सुरक्षा एक अत्यंत संवेदनशील एवं अपरिहार्य कारक है। वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में एक न्यूनतम् स्तर तक आय अर्जित होते रहने को उच्च वरीयता देते हुए लक्ष्य बनाना होगा तथा इसके लिए निम्नवत् ठोस कदम उठाने होगें:-

2.3.1 राज्य सरकार द्वारा अशक्त एवं आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को **वृद्धावस्था पेंशन** प्रदान की जाएगी। पेंशन योग्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा पेंशन राशि का वितरण निश्चित समय पर कराना सुनिश्चित किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा राज्यांश में रू0 100/- प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए **वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि रू0 400/- प्रतिमाह दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से** की जाएगी।

2.3.2 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना में मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते हुए वरिष्ठ नागरिकों से उनकी मांग के आधार पर कम श्रमपरक् कार्य यथा-कार्य स्थल पर पानी पिलाने का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य गड्ढों को भरना, वृक्षारोपण में पानी डालना, कंकड़ डालना, भूमि को समतल करना, नव-निर्मित दीवालों पर पानी छिड़कना, कार्य स्थल पर बच्चों की देख-भाल करने में मदद करना आदि कार्य कराये जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु परिवार के अन्य सदस्यों को भी ग्राम में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

2.3.3 सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, प्रावधायी निधि, ग्रेच्युटी, अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विलम्ब होने पर उत्तरदायी व्यक्ति/अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.3.4 लम्बी अवधि की बचत योजनाओं, बीमा कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं को संरक्षण प्रदान कर इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो व्यक्ति पेंशन योजनाओं की परिधि में नहीं आते, वरिष्ठ नागरिक होने पर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

2.3.5 सेवाकाल के दौरान ही वृद्धावस्था के लिए बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.3.6 अल्प आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को ''वृद्ध स्वयं सहायता समूह'' के माध्यम से अल्प बचत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ऐसे समूहों को जो नियमित होगें तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आपसी लेन-देन सफलतापूर्वक करेगें, के सदस्यों को माइक्रो-फाइनेंस के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया जाएगा।

2.3.7 ऐसे वृद्ध जो सम्पन्न बच्चों के होते हुए भी उपेक्षित हैं एवं दीन-हीन अवस्था में जीवन-यापन करने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए **"माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण कानून, 2007"** के तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया जाएगा।

2.3.8 ''रिवर्स मार्टगेज'' जैसी योजनाओं को विकसित किया जाएगा, ताकि वरिष्ठजन आर्थिक संकटों से बच सके।

2.3.9 सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा एवं ऐसे कार्यक्रमों को चलाने हेतु आवश्यक सहायता दी जाएगी। सरकारी/गैर सरकारी विभागों/प्रतिष्ठानों में सेवानिवृत्ति के पूर्व परामर्श कार्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

2.4 जीवन एवं सम्पत्ति सुरक्षा

वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति का भय प्रायः तीन तरह के व्यक्तियों यथा- स्वयं के परिवार से, सेवाकारों से तथा अपराधीगण से होता है। सम्पत्ति की चाह में परिवारीगण से, अकेले रहने की दशा में घरेलू नौकरों से एवं सूनसान अकेले घरों में रहने के कारण घूमने वाले अपराधियों से वरिष्ठ नागरिक आसानी से शिकार हो जाते हैं। अतः समाज के उक्त श्रेणी के लोगों से वरिष्ठ नागरिक एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। सड़क दुर्घटना भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए घातक है तथा इससे भी वृद्धजनों की सुरक्षा की जानी आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु निम्नवत् कदम उठाए जाएगें :-

2.4.1 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को उत्तरदायी बनाते हुए थानावार एवं बीटवार एकाकी रह रहे एवं विभिन्न कारणों से प्रताडित वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की व्यवस्था की जायेगी। थानावार वरिष्ठ नागरिकों की सूची और उनके टेलीफोन नम्बर उपलब्ध रहेगें तथा बीट कान्सटेबिल व्यक्तिगत रूप से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के घर निश्चित अंतराल पर जाकर उनसे सम्पर्क करेगें। रात्रिगश्त में भी वरिष्ठ नागरिकों के घरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

2.4.2 वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए "Women Power Line" की भांति **"वरिष्ठ नागरिकों हेतु हेल्पलाइन"** (Help Line for Senior Citizen) की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.4.3 बड़े नगरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा संगठनों के माध्यम से मोहल्ला एवं कालोनीवार वरिष्ठ नागरिकों का विवरण रखने, समय-समय पर उनकी मीटिंग करने एवं आवश्यक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

2.4.4 प्रदेश के गांवों, कस्बो एवं नगरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे क्षेत्रवार वरिष्ठ नागरिक समितियों का गठन करके जिला, मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर अपने को जोड़े और उनकी समस्याओं का इन समितियों व महासमिति के माध्यम से निराकरण कराया जाएगा।

2.4.5 लेखपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी को भी ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु आदेशित किया जाएगा।

2.5 जागरूकता एवं शिक्षा

2.5.1 बच्चों एवं युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं से परिचित कराया जाएगा तथा उन्हें अपने दादा-दादी, नाना-नानी अथवा अभिभावक एवं समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूक एवं संवेशनशील किया जाएगा। इस विषय में शैक्षिक पाठ्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति जागरूक करना तथा उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न करने सम्बन्धी मूल्यपरक शिक्षा को शामिल किया जाएगा।

2.5.2 वृद्धावस्था से सम्बन्धित जानकारी व शिक्षा हेतु पठन सामग्री तैयार की जाएगी और व्यापक रूप से वितरित की जाएगी। साथ ही इसकी जानकारी दूरसंचार एवं अन्य माध्यमों से भी प्रसारित की जाएगी।

2.5.3 निरक्षर वरिष्ठ नागरिकों को साक्षर बनाने के लिए वृद्धाश्रमों व डे-केयर सेन्टर में उचित व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ती/कार्यकर्ता/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरक्षर वरिष्ठ नागरिकों को साक्षर बनाने का कार्य किया जाएगा।

2.5.4 वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाएगा।

2.5.5 **स्कूल कालेजों में प्रतिवर्ष <u>दिनांक 01 अक्टूबर</u> को ''दादा-दादी एवं नाना-नानी दिवस'' मनाया जाएगा,** जिसमें परिवार के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा तथा उनकी रूचि के कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश समाज कल्याण विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को प्रसारित किये जायेंगे।

2.5.6 राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति में मीडिया की अहम भूमिका है। मीडिया के माध्यम से अन्तर्पीढ़ीय सम्बन्धों को मजबूत किया जाएगा।

2.6 मनोरंजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.6.1 वरिष्ठ नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली का नेतृत्व करने व उन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु मनोरंजन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायः दिन के समय जब परिवारो के अधिकांश सदस्य अपने काम पर चले जाते है, उस समय वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजक कार्यों के माध्यम से नयी स्फूर्ति, शांति, शिक्षा, विकास, नई चेतना एवं विश्वास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। यह कार्य वार्ड या पंचायत स्तर पर विभिन्न रचनात्मक एवं रोचक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु मनोरंजन केन्द्रों, बहु उद्देशीय नागरिक सेवा केन्द्रों, डे-केयर सेन्टर, बहु उद्देश्यीय मनोरंजन केन्द्रों एवं अल्पकालिक निवास केन्द्रों का गठन स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2.6.2 वरिष्ठ नागरिकों के लिये मनोरंजन केन्द्र निम्नवत होगें जो सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिकों की समितियों और अन्य समितियों के सहयोग से स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद द्वारा स्थापित किये जायेंगेः-

- पुस्तकालय एवं वाचनालय-वरिष्ठ नागरिकों की रूचि के अनुसार पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकायें, टीवी व संगीत के अन्य उपकरणों की उपलब्धता।
- इन्डोर व आउटडोर खेलो की सुविधा प्रदान करना।
- दैनिक योग व शारीरिक व्यायाम हेतु आवश्यक व्यवस्था।
- विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार वितरण की व्यवस्था।
- समय समय पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी, राष्ट्र समाज व व्यक्तित्व विकास संबंधी विषयों पर गोष्ठी व प्रवचन का आयोजन करना।
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा एवं अन्य संगठनों, उपक्रमों द्वारा घोषित विभिन्न अनुदान, पेंशन, लाभ, सुविधा, सहूलियत, राहत एवं समय-समय पर आन लाइन सुविधाओं का विवरण सूचीबद्ध तरीके से वरिष्ठ नागरिकों हेतु निर्दिष्ट केन्द्रों पर उपलब्ध कराना।
- वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा व एकता हेतु औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर पास-पड़ोस के वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से संगठित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना ताकि वे आपसी तालमेल में अपनी मनोरंजक, दैनिक गतिविधियों, सामाजिक जागरूकता एवं आकस्मिक परिस्थितियों में आपस में एक-दूसरे का सहयोग कर सकें।
- समय-समय पर मनोरंजन के साथ-साथ सामान्य स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, शिक्षा एवं सेवा कार्य हेतु प्रोत्साहन, परामर्श (Counseling) की व्यवस्था करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों, मेलों, प्रर्दशनीं, पार्कों आदि में भाग लेने हेतु वरिष्ठ नागरिकों को प्रवेश निःशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- वर्तमान संचार माध्यमों यथा वाट्सअप (Whats-App) द्वारा एवं वरिष्ठ नागरिकों की वेबसाइट-पोर्टल का प्रयोग कर देश-विदेश एवं सभी राज्यों में संचालित कार्यक्रमों एवं सुविधाओं से अद्यतन रखना ताकि वरिष्ठ नागरिक एक-दूसरे की जीवन शैली, जीवन स्तर, विभिन्न समस्याओं व उनके समाधान तथा मनोरंजन सम्बन्धी विषयों पर उनका अनुकरण कर लाभान्वित हो सके।

2.6.3 वरिष्ठ नागरिकों को **सार्वजनिक उद्यानों में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट** उपलब्ध करायी जायेगी।

2.7 वृद्ध महिलाओं हेतु विशेष प्राविधान

2.7.1 वरिष्ठ नागरिकों में विशेषकर वृद्ध महिलाओं को **विधिक सहायता निःशुल्क** उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह सहायता उनके निवास स्थान पर ही उपलब्ध हो जाये ताकि उन्हें अनावश्क आवागमन की परेशानी न उठानी पड़े।

2.7.2 विभिन्न आवासीय योजनाओं में आरक्षण के अन्तर्गत वरिष्ठ महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

2.8 वरिष्ठ नागरिक संगठनों से सहयोग

2.8.1 वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा एवं विकास कार्यें में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिक महासमिति और उसके मार्गदर्शन में कार्यरत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक समितियों एवं संगठनों का सहयोग लेकर वरिष्ठ नागरिकों की सेवा एवं मनोरंजन हेतु प्रोत्साहित किया जाना तथा विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु आवश्यकतानुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

2.9 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि

2.9.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य स्तर पर **"वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि"** (Welfare fund for Senior Citizen) की स्थापना की जायेगी। इस निधि में सरकार, निजी क्षेत्र की कम्पनियों, ट्रस्टों, धर्मार्थ संस्थाओं व निजी व्यक्तियों से प्राप्त सहायता अथवा दान राशि जमा करायी जायेगी तथा ऐसी धनराशि को कर मुक्त किया जायेगा। निधि में प्राप्त धनराशि का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखकर किया जाएगा। निधि की स्थापना/शुरूआत राज्य सरकार के रू0 05 करोड़ के योगदान से की जायेगी।

2.10 अन्य विविध कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.10.1 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन-सुविधा से सम्बन्धित सभी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं व परिवादों को प्राथमिकता दें। सम्पत्ति के हस्तान्तरण, नामान्तरण, सम्पत्ति कर इत्यादि के मामलों में वरिष्ठ नागरिकों के कार्य को त्वरित गति से निपटाया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ऐसे कार्यों के लिए परेशान नहीं किया जाए।

2.10.2 **तहसील दिवस/थाना दिवस** आदि में **वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों/शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता** पर किया जायेगा एवं इसकी अलग से समीक्षा संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

2.10.3 सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहयोगात्मक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण परिलक्षित हो, यथा-प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को परिचय पत्र जारी करना, यात्रा के सभी साधनों में रियायती दर पर यात्रा की सुविधा देना, समस्त सार्वजनिक वाहनों में उनके लिए सीट आरक्षित करना आदि कार्य किये जायेगे।

2.10.4 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ जनों के लिए 02 सीटों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में किराये में छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश यथासमय नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे तथा यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रदत्त छूट के वित्तीय व्ययभार की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को की जाय।

2.10.5 सभी सरकारी कार्यालयों/भवनों के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों के सुगमता पूर्वक गमन हेतु रैम्प होना अनिवार्य होगा। पूर्व से निर्मित भवनों का पुनरावलोकन कर उनमें भी रैम्प की व्यवस्था की जायेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को वहां आने-जाने परेशानी का सामना न करना पड़े।

2.10.6 वरिष्ठ नागरिकों की देख-भाल हेतु सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे असहाय हो चुके वरिष्ठ नागरिकों की समुदाय द्वारा उचित देखभाल सुनिश्चित होगी।

2.10.7 राज्य की आपदा से निपटने की तैयारी की सामुदायिक स्तर की कार्य योजना में वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे न सिर्फ उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा अपितु आपदा की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ठ परिस्थितियों के अनुरूप बचाव एवं राहत कार्य में उनको प्राथमिकता पूर्वक सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.10.8 वरिष्ठ नागरिकों द्वारा धोखाधड़ी व अन्यायपूर्ण लेन-देन आदि की प्राप्त होने वाली शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करते हुए उनका त्वरित एवं प्रभावी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

2.10.9 वरिष्ठ नागरिकों की आम समस्याओं, शारीरिक व्याधियों एवं उनके निवारण के लिए प्रचलित योजनाओं व कार्यक्रमों इत्यादि की जानकारी हेतु जनसम्पर्क एवं जन संचार के साधनों का भरपूर प्रयोग किया जायेगा।

2.10.10 सभी व्यक्तियों, परिवारों व समुदायों को वृद्ध होने की प्रक्रिया, उम्र के साथ बदलती हुयी जिम्मेदारियां व सम्बन्धों की जानकारी दी जायेगी।

2.10.11 पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम बनाये जायेगे। युवा वर्ग को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में व पीढ़ीगत दूरी के प्रभाव से मुक्त रहने के बारे में संवेदनशील करने के प्रभावी प्रयास किये जायेगे।

2.10.12 विधिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर वृद्धावस्था एवं वृद्ध लोगों के प्रति संवेदनशीलता सृजित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

2.10.13 कार्पोरेट समूह की कम्पनियों को वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित योजनाओं हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.10.14 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय सुविधायें गरीब वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

2.10.15 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश के अन्तर्गत लघु व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को कमतर ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

2.10.16 वृद्धाश्रम के अंतःवासी के निधन हो जाने की दशा में यदि परिजनों को सूचित करने के उपरांत भी 24 घंटे के अंदर कोई परिजन मृतक के अंतिम संस्कार हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो वृद्धाश्रम के संचालक नियमानुसार मृतक के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे।

3. वृद्धाश्रम नियामक इकाई

3.1 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संचालित सभी प्रकार के वृद्धाश्रमों से संबंधित नीति विषयक प्रकरणों के निर्धारण, अनुश्रवण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक **वृद्धाश्रम नियामक इकाई** (Old Age Home Regulatory Unit) का गठन किया जायेगा।

3.2 वृद्धाश्रम नियामक इकाई की अध्यक्षता निदेशक, समाज कल्याण करेंगे तथा विभागीय संयुक्त निदेशक इसके सदस्य सचिव/संयोजक होंगे। इसके अतिरिक्त 03 गैर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकारी सदस्य होंगे, जिनका चयन समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्य सचिव के अनुमोदन से किया जायेगा।

3.3 वृद्धाश्रम नियामक इकाई पर होने वाले व्यय की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के बजट में की जायेगी।

4. क्रियान्वयन

वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण कराते हुए उनके हिताधिकार को सुरक्षित एवं संरक्षित करने हेतु उक्त नीति के सम्यक् क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः-

4.1 प्रदेश में **"उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति"** के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु उक्तानुसार संचालित कार्यक्रमों एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों, सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होगें। समिति सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त नीति के तहत निर्दिष्ट क्रियाकलापों के सम्बन्ध में तैयार किये गये कार्य योजना, उसके कार्यान्वयन की प्रगति की तीन माह में समीक्षा करेगी। नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग होगा।

4.2 वरिष्ठ नागरिकों के हितों से सम्बन्धित उक्त नीति के सम्यक कार्यान्वयन हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत **"उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति प्रकोष्ठ"** का गठन किया जायेगा, जो उक्त नीति के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन के प्रगति के सम्बन्ध में जनपदों से प्रगति आख्या प्राप्त कर शासन स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा समय-समय पर आने वाली समस्याओं एवं सुझावों से भी शासन स्तर की समिति को अवगत करायेगी ताकि तदनुसार शासन स्तर की समिति उक्त सुझाव पर वांछित कार्यवाही कर सके।

4.3 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को समुचित स्तर पर अध्ययन कर समस्या का निदान करने तथा तद्विषयक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **"जनपद स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समिति"** का गठन किया जायेगा, जिसमें निर्दिष्ट कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य होगे। इस समिति में स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया जायेगा ताकि इनसे सम्बन्धित समस्यायें व सुझाव वरिष्ठ नागरिक परिषद के समक्ष प्राप्त हो सके। वरिष्ठ नागरिक समिति में गैर सरकारी संस्था/संगठनों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी तथा यह संगठन समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में कार्य करेगा।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों हेतु **राष्ट्रीय काउन्सिल** की संस्तुति के अनुसार प्रदेश स्तर पर **"उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक काउन्सिल"** का गठन मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 की अध्यक्षता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में की जायेगी। राज्य काउन्सिल वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों, नीतियों एवं सुझाव आदि के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी। काउन्सिल की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार होगी। इसमें निम्नवत् सदस्य होगें:-

1. मा0 मंत्री, समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, गृह, आवास, नगर विकास, ग्राम्य विकास, औद्योगिक विकास, राजस्व, खाद्य एवं रसद
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
3. राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति में उल्लिखित कार्यो से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव
4. शासन द्वारा नामित 03 मण्डलायुक्त तथा 5 जिलाधिकारी
5. वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कार्यों के स्वैच्छिक संगठनों के 05प्रतिनिधि
6. मीडिया के 02 प्रतिनिधि
7. वरिष्ठ नागरिक संगठनों के 02 प्रतिनिधि

4.5 उत्तर प्रदेश, राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों यथा गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम विकास, नगरीय विकास, परिवहन, औद्योगिक विकास, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण तथा समाज कल्याण विभाग का यह दायित्व होगा कि वह नीति में उल्लिखित कार्यक्रमों के सम्यक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं तकनीक विकसित कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभाग द्वारा उनसे सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों तथा उसके सापेक्ष वित्तीय प्राविधान से सम्बन्धित पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जायेगी। सम्बन्धित विभाग द्वारा वर्ष के अन्त में उसके सापेक्ष प्रगति रिपोर्ट कार्यक्रम हेतु नोडल विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

4.6 कार्यक्रम के सम्यक कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

- ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र विकास कार्यालयों, पंचायती राज संस्थाओं एवं ट्राइवल काउन्सिल/ग्राम सभाओं की अहम भूमिका होगी। खण्ड विकास अधिकारी वरिष्ठ नागरिको से सम्बन्धित पेंशन, प्रपत्रों एवं शारीरिक रूप से वांछित उपस्थिति से सम्बन्धित मामलों में सहयोग हेतु विशेषकर महिलाओं के मामलों में सहयोग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्ति करेगा।
- शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय के प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों के उक्त कार्य में वांछित सहयोग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए वाछित कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी स्पष्टतः निर्देशित करेगे कि वह राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यक्रमों एवं सुविधाओं को प्राप्त करने में वरिष्ठ नागरिकों को अपेक्षित एवं ससमय सहयोग प्रदान करेगें।
- ग्रामीण एवं ट्राईबल क्षेत्रों में ट्राईबल काउन्सिल या ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थायें नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।
- निर्दिष्ट कार्यों की प्रगति की शासन, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश व जनपद स्तर पर गठित समिति की प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वरिष्ठ नागरिकों के हित में संचालित कार्यक्रम सुचारू रूप से क्रियान्वित होते रहे।
- नोडल विभाग द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में नीति के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा करेगा तथा तत्सम्बन्ध में अपना-अपना मंतव्य, प्रतिवेदन, सुझाव सरकार को प्रस्तुत करेगा ताकि तत्सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
- राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर नीति के मुख्य अंश सतत् रूप से आम जन के संज्ञान में लाने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं से जुडे सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के क्रियान्वयन में उदासीनतापूर्ण कार्यवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगीं।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-8/2016/727(1)/26-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, न्याय, नियोजन, नगर विकास, औद्योगिक विकास, गृह, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, संस्थागत वित्त, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, महिला कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, राजस्व, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, परिवहन विभाग, ग्राम्य विकास एवं बेसिक शिक्षा विभाग।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।

5- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।

6- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

7- गार्ड फाईल।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।